

पत्रावली पर हमला कराने में (पत्रावली) में वादी एवं उतिवादी सं० 1, 5, 6, 7, 9 एवं 12 की मेल्य होने से इनकी वारिश को मना करने हेतु वादी अधिवक्ता को आदेशित किया गया। पत्रावली दिनांक 21-2-18 को पेश है।

उपखण्ड नजिराद्वैत
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

21-2-18

पत्रावली पर हुई वादी-प्रतिवादी उपास्थित।
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
जिला सहाय्य अधिकारी के कम होने से
पत्रावली दिनांक 23-3-18 को पेश होवे।

दीप्ति

23-3-18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित है। पत्रावली में वादी एवं वादी अधिवक्ता को तीन बार आवाज लगावई गयी फिर भी उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली में आदेश 9 नियम 3 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार है दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल इफ्तार है।

उपखण्ड नजिराद्वैत
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)